

भारत संचार निगम लिमिटेड
ऋण एवं अग्रिम अनुभाग

HRMS No.

सामान्य भविष्य निधि से बीमारी के उपचार के लिए धनराशि की अंतिम निकासी हेतु आवेदन पत्र

-
1. अंशदाता का नाम :
2. पदनाम :
3. मूल-वेतन :
4. भविष्य निधि खाता संख्या :
5. कार्यालय जिसमें सामान्य भविष्य निधि खाते का :
लेखाजोखा किया जाता है
6. आवेदन की तारीख को अंशदाता के खाते में जमा :
अधिशेष
7. अपेक्षित धनराशि :
8. (अ) प्रयोजन जिसके लिए यह धनराशि अपेक्षित है :
(i) जिस व्यक्ति की बीमारी के उपचार के लिए यह :
धनराशि निकाली जा रही है, उससे अंशदाता का
संबंध
(ii) बीमारी का स्वभाव :
(ब) क्या यह आवेदन पहले ली गई अग्रिम धनराशि को :
अंतिम निकासी में परिवर्तन करने के लिए है ।
(i) लिए गए अग्रिम का विवरण भुगतान राशि और :
तारीख
(ii) जिस धनराशि को अंतिम निकासी में परिवर्तन :
करना है, उसकी बकाया शेष धनराशि ।

9. (i) सेवा की अवधि (अलग-अलग अवधियों :
को मिलाकर यदि कोई हो) :
- (ii) आवेदन की तारीख को अधिवर्षिता की :
आयु प्राप्त करने के लिए अपेक्षित सेवा
अवधि ।
- (iii) अधिवर्षिता की तारीख :
:
10. पिछली अंतिम निकासी का प्रयोजन और :
धनराशि किस कार्यालय द्वारा संस्थीकृत
की गई थी तथा इसका भुगतान किस
महीने में किया गया था ।

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

पदनाम :

दूरभाष नंबर :

मद संख्या 1 से 6 में दिए गए विवरणों का सत्यापन कर लिया गया है और उन्हें सही पाया
गया है ।

अनुभाग अधिकारी (वेतन बिल)/(रोकड़ अनुभाग)/लेखाधिकारी (रोकड़)
द संख्या 9 (i), (ii) और (iii) का सत्यापन कर दिया गया है और उन्हें सही पाया गया है ।

अनुभाग अधिकारी (सी.एस.एस.)/कार्मिक-1, II/पेंशन/ए एंड ई/एसईए

प्रमाणित किया जाता है कि मैं सामान्य भविष्य निधि (सिविल सेवा) नियमावली 1960 के नियम
15 खण्ड (1)(बी) में विहित शर्तों से संतुष्ट हूँ ।

अनुभाग अधिकारी (ऋण एवं अग्रिम)